

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश, भोपाल

PHONE NO./FAX NO.-0755 2674286, E-mail- apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक/कक्ष-03/बजट-1/एफ-6218/2019/5217

भोपाल, दिनांक 14/10/19

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार)
वृत्त भोपाल।
2. वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
भोपाल।
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल
भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/उज्जैन/होशंगाबाद/।
4. उप वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल।
5. उप वन संरक्षक (रोकड़)
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल।

विषय:- मांग संख्या 10-2216-05-053-9999-6218 भवनों के मरम्मत अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2019-20।

—00—

विषयांतर्गत आपकी मांग को दृष्टिगत रखते हुये एवं बजट उपलब्धता के आधार पर मांग संख्या 10-2216-05-053-9999-6218 भवनों के मरम्मत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि रूपयों में)


आहरण संवितरण अधिकारी	12- मजदूरी	34-001 मटेरियल क्रय	योग	रिमार्क
मु.व.सं. (अनुसंधान विस्तार) भोपाल	420000	180000	600000	आपका पत्र क्रमांक/1146 दिनांक 27.08.2019
व.सं. (कार्य आयोजना) भोपाल	350000	150000	500000	अ.प्र.मु.व.सं. (का.आ.) आंचलिक का पत्र क्रमांक/828 दि. 05.10.2019
व.म.अ. सामान्य भोपाल	1050000	450000	1500000	आपका पत्र क्रमांक/4860 दिनांक 05.10.2019
व.म.अ. सामान्य जबलपुर	700000	300000	1000000	मु.व.सं. का पत्र क्रमांक/8195 दिनांक 28.08.2019
व.म.अ. सामान्य इन्दौर	1120000	480000	1600000	मु.व.सं. का पत्र क्रमांक/6985 दिनांक 02.09.2019
व.म.अ. सामान्य उज्जैन	1050000	450000	1500000	मु.व.सं. का पत्र क्रमांक/2898 दिनांक 27.06.2019
व.म.अ. सामान्य होशंगाबाद	1050000	450000	1500000	आपका पत्र क्रमांक/11947 दिनांक 10.10.2019
उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्या. प्र.मु.व.सं. (उत्पादन)	280000	120000	400000	अ.प्र.मु.व.सं. (जन संपर्क एवं क्रिय) का पत्र क्र./511 दिनांक 15.08.2019
उप वन संरक्षक (रोकड़) कार्या. प्र.मु.व.सं., भोपाल	28000	12000	40000	आपका यू.ओ.क्रमांक/215 दिनांक 09.10.2019

14/10

1. उक्त आवंटित राशि से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/203 दिनांक 27.04.2011 द्वारा निर्धारित नार्मस अनुसार ही व्यय किया जाये।
2. उक्त आवंटित राशि से सामग्री का क्रय म.प्र.भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाये।
3. समस्त मरम्मत कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कराया जाये।
4. यदि आवंटित राशि का व्यय किया जाना संभव न हो तो तत्काल राशि समर्पित करें।
5. वर्ष 2019-20 में निम्न प्रपत्र में रजिस्ट्रर में व्यय संधारित किया जाये:-

क्र.	भवन का नाम	व्यय राशि		कुल व्यय राशि
		सामग्री	मजदूरी	


6. मजदूरी मद से सामग्री क्रय न की जाये।
7. राशि जिस मद में आवंटित की गई। उसका व्यय उसी मद में किया जाये। वनमंडल स्तर पर पुनर्विनियोजन न करें।
8. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का ज्ञाप क्र/500/470/2019/चार/ब-1 दिनांक 30.07.2019 (वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।


(विभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ० क्रमांक/कक्ष-03/बजट-1/एफ-6218/2019/5218 भोपाल, दिनांक 14/10/19

- प्रतिलिपि:-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
 2. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/उज्जैन/होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
 3. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल